पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

दिवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या -86/2016

==========

1. कनक वर्मा, पति-प्रभात कुमार, मो०-S/380, लोहिया नगर, पुलिस स्टेशन कंकड़बाग, जिला-पटना
2. प्रभात कुमार, पिता-स्व० गिरीश कुमार, मो०-S/380, लोहिया नगर, पुलिस स्टेशन कंकड़बाग, जिला-पटना

---------- अपीलार्थी

बनाम्

1. बिहार राज्य सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार, पटना, नया सचिवालय पटना के माध्यम से।
2. कुलपति, पटना विश्वविद्यालय, पटना, अशोक राजपथ, थाना-पीरबहोर, जिला-पटना
3. रजिस्ट्रार, पटना विश्वविद्यालय, पटना, अशोक राजपथ, थाना-पीरबहोर, जिला-पटना
4. प्राचार्य, पटना लॉ कॉलेज, महेंद्रू, थाना-सुल्तानगंज, जिला-पटना

----------प्रत्यर्थी

==========

उपस्थितः

अपीलार्थी की ओर से	:	श्री आर. के. वर्मा, वरीय अधिवक्ता
प्रत्यर्थी की ओर से	:	श्री सर्वेश कुमार सिंह, ए.ए;जी;-13
पटना विश्वविद्यालय के लिए	:	श्री मनीष धारी सिंह, अधिवक्ता

==========

सेवा कानून—वेतन/वेतन के बकाया—याचिकाकर्ता को पटना विश्वविद्यालय के उपकुलपति के आदेश से पटना लॉ कॉलेज में अंशकालिक व्याख्याता के रूप में नियुक्त किया गया था—अवधि छह महीने के लिए थी—हर अवधि समाप्त होने के बाद, उनकी अवधि बढ़ा दी गई—याचिकाकर्ताओं ने अंतरिम अवधि में अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया—याचिकाकर्ता उस अवधि के लिए वेतन के बकाया की मांग कर रहे हैं जब उनके अंशकालिक व्याख्याता के रूप में नियुक्ति का कोई अधिसूचना नहीं था लेकिन वास्तव में उन्होंने अंशकालिक व्याख्याताओं के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया—विश्वविद्यालय ने एक अधिसूचना जारी की जिसके द्वारा यह तय किया गया कि अंतरिम अवधि के लिए अंशकालिक व्याख्याताओं को वेतन का भुगतान किया जाएगा—याचिकाकर्ताओं ने अंतरिम अवधि के वेतन के लिए कोई बिल प्रस्तुत नहीं किया—इस मामले की सुनवाई के दौरान, इस

न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे एक सप्ताह के भीतर अपने बिल प्रस्तुत करें और आगे यह निर्देश दिया कि यदि याचिकाकर्ता ऐसे बिल प्रस्तुत करते हैं, तो उत्तरदाताओं को उचित सत्यापन के बाद कानून के अनुसार आठ सप्ताह के भीतर इसे विचार करना चाहिए—याचिकाकर्ताओं ने अपने बिल प्रस्तुत किए और याचिकाकर्ताओं को भुगतान किया गया यानी दो महीने के भीतर—याचिकाकर्ता ब्याज के लिए मामला बनाने में असफल रहे क्योंकि पहले, विश्वविद्यालय अधिनियम और/या नियमों के तहत वेतन पर ब्याज देने के लिए कोई वैधानिक प्रावधान नहीं है; और दूसरे, याचिकाकर्ताओं द्वारा बिल प्रस्तुत करने के दो महीने के भीतर विश्वविद्यालय ने अंतरिम अवधि के लिए वेतन का भुगतान किया है—वर्तमान मामले के तथ्यों में ब्याज अधिनियम लागू नहीं है—आवेदन खारिज किया गया।

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

==========

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री चन्द्र शेखर झा

मौखिक निर्णय

दिनांक-04-07-2024

1. रिट याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादियों को अंशकालिक व्याख्याता के रूप में उनके द्वारा किए गए कार्य के लिए बकाया वेतन का भुगतान वर्तमान ब्याज सहित करने का निर्देश देने के लिए तत्काल रिट आवेदन दायर किया है।

2. मामले का संक्षिप्त तथ्य यह है कि पटना विश्वविद्यालय (संक्षेप में"विश्वविद्यालय") द्वारा 1998 में पटना लॉ कॉलेज में अंशकालिक आधार पर व्याख्याताओं की नियुक्ति के लिए प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार, याचिकाकर्ताओं ने इसके लिए आवेदन किया और कुलपति के आदेश से उनकी नियुक्ति हुई। याचिकाकर्ता संख्या 1 को अन्य के साथ 18.03.1998 को और याचिकाकर्ता संख्या 2 को अन्य के साथ 03.01.2001 को नियुक्त किया गया।

3. याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति छह महीने की अवधि के लिए की गई थी, लेकिन समय-समय पर इसे बढ़ाया गया और तदनुसार याचिकाकर्ता संख्या 1 20.07.1999 से 11.08.2007 के बीच की अवधि के लिए जारी रहा। याचिकाकर्ता संख्या 2 विभिन्न अधिसूचनाओं के आधार पर 03.01.2001 से 24.02.2005 तक जारी रहा।

4. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विश्वविद्यालय द्वारा अगले छह माह के लिए नियुक्ति हेतु नई अधिसूचना जारी किए जाने तक प्रत्येक छह माह की अवधि समाप्त होने के पश्चात अंतराल होता था, लेकिन याचिकाकर्ताओं ने अंतराल/अंतराल अवधि में अंशकालिक व्याख्याता के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन जारी रखा। इसी प्रकार, अंशकालिक व्याख्याताओं, जिन्हें अंतराल अवधि के लिए वेतन नहीं दिया गया था, ने इस न्यायालय के समक्ष रिट आवेदन दायर किया तथा आगे एल.पी.ए. संख्या 44/2008 दायर किया गया, जिसका इस न्यायालय द्वारा दिनांक 27.08.2008 के आदेश द्वारा निपटारा किया गया, जिसमें प्रतिवादियों को

अंतराल/अंतराल अवधि के लिए वेतन का भुगतान करने का निर्देश दिया गया। इसके अनुसरण में विश्वविद्यालय ने दिनांक 15.01.2013 को अधिसूचना जारी की जिसके द्वारा अंशकालिक व्याख्याताओं को अंतरिम अवधि अर्थात छह महीने की समाप्ति और आगे छह महीने के लिए नियुक्ति के लिए एक और अधिसूचना जारी करने के बीच की अवधि के लिए वेतन का भुगतान करने का निर्णय लिया गया। याचिकाकर्ताओं ने वेतन के बकाया भुगतान के लिए 2013 और 2014 में अपने अभ्यावेदन प्रस्तुत किए।

5. विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि इस मामले में पारित आदेश संख्या 6 दिनांक 03.12.2018 में विश्वविद्यालय के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि याचिकाकर्ताओं को अपने बिल प्रस्तुत करने चाहिए, जिन पर प्राधिकारियों द्वारा सत्यापन के पश्चात विचार किया जाएगा, जिस पर इस न्यायालय ने निर्देश दिया कि यदि याचिकाकर्ताओं द्वारा ऐसे बिल एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत किए जाते हैं, तो प्रतिवादियों को उसके बाद आठ सप्ताह की अवधि के भीतर कानून के अनुसार उचित सत्यापन के पश्चात विचार करना चाहिए।

6. याचिकाकर्ताओं ने अपने बिल 08.12.2018 को प्रस्तुत किए तथा भुगतान 06.02.2019 को किया गया। तदनुसार, याचिकाकर्ताओं का ब्याज का दावा 20.03.2007 से भुगतान की तिथि तक 20% प्रति वर्ष की दर से है।

7. दूसरी ओर, विश्वविद्यालय के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं ने अपने कर्तव्यों का अंतिम रूप से निर्वहन करने की तिथि से क्रमशः आठ वर्ष / ग्यारह वर्ष की देरी के बाद इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। तदनुसार, यह मामला देरी और लापरवाही के आधार पर खारिज किए जाने योग्य है। याचिकाकर्ताओं ने अंतराल अवधि के लिए वेतन के बकाया के भुगतान के लिए 08.12.2018 को अपने बिल प्रस्तुत किए और दो महीने के भीतर 06.02.2019 को उन्हें भुगतान कर दिया गया।

8. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अध्ययन किया है। याचिकाकर्ता उस अवधि के लिए बकाया वेतन का दावा कर रहे हैं, जब

अंशकालिक व्याख्याता के रूप में उनकी नियुक्ति की कोई अधिसूचना नहीं थी, लेकिन वास्तव में उन्होंने अंशकालिक व्याख्याता के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया था। अंशकालिक व्याख्याता की नियुक्ति पटना लॉ कॉलेज में छह महीने की अवधि के लिए की गई थी। छह महीने की अवधि समाप्त होने के बाद तथा अंशकालिक व्याख्याताओं की पुनः नियुक्ति के लिए नई अधिसूचना जारी होने से पहले कुछ समय के लिए अंतराल था। हालांकि याचिकाकर्ता तथा समान स्थिति वाले अंशकालिक व्याख्याता अंशकालिक व्याख्याता के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे। समान स्थिति वाले कुछ अंशकालिक शिक्षकों द्वारा दायर रिट आवेदन/एल.पी.ए. के अनुसरण में, इस न्यायालय ने विश्वविद्यालय को उस अंतराल/अंतराल अवधि के लिए वेतन का भुगतान करने का निर्देश दिया, जब नियुक्ति की कोई अधिसूचना नहीं थी।

9. इस न्यायालय के निर्देश के आलोक में विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने दिनांक 15.01.2013 को एक अधिसूचना जारी की, जिसमें अंशकालिक शिक्षकों को पटना लॉ कॉलेज में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की अवधि के लिए वेतन की अनुमति दी गई। इसके अनुसरण में विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी ने दिनांक 01.12.2013 को पटना लॉ कॉलेज के प्राचार्य को एक पत्र भेजा, जिसमें अंशकालिक शिक्षकों से अनुरोध किया गया कि वे प्राचार्य द्वारा विश्वविद्यालय को भेजे जाने के बाद अंतराल अवधि के लिए वेतन भुगतान के लिए अपने बिल जमा करें (अनुलग्नक-7)। याचिकाकर्ताओं ने वित्त अधिकारी के दिनांक 01.12.2013 के पत्र के अनुसार पटना लॉ कॉलेज के प्राचार्य के माध्यम से भेजे जाने के बाद अंतराल अवधि के वेतन भुगतान के लिए कोई बिल जमा नहीं किया। इस मामले की सुनवाई के दौरान, इस न्यायालय ने अपने दिनांक 03.12.2018 के आदेश के माध्यम से याचिकाकर्ताओं को एक सप्ताह के भीतर अपने बिल प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता दी, साथ ही यह भी निर्देश दिया कि यदि याचिकाकर्ताओं द्वारा ऐसे बिल प्रस्तुत किए जाते हैं, तो प्रतिवादी उचित सत्यापन के बाद आठ सप्ताह की अवधि के भीतर कानून के अनुसार उस पर विचार करें। बेशक, याचिकाकर्ताओं ने 08.12.2018 को अपने बिल प्रस्तुत किए और याचिकाकर्ताओं को 06.02.2019 को भुगतान किया गया, यानी दो महीने की अवधि के भीतर।

10. उपर्युक्त चर्चाओं पर विचार करते हुए, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि याचिकाकर्ता ब्याज देने का मामला बनाने में विफल रहे हैं, क्योंकि पहली बात तो यह है कि विश्वविद्यालय अधिनियम और/या नियमों के तहत वेतन पर ब्याज देने का कोई वैधानिक प्रावधान नहीं है; और दूसरी बात यह है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा बिल प्रस्तुत करने के दो महीने के भीतर विश्वविद्यालय द्वारा अंतराल अवधि के लिए वेतन का भुगतान किया गया है। वर्तमान मामले के तथ्यों में ब्याज अधिनियम लागू नहीं होता है।

11. तदनुसार, आवेदन खारिज किया जाता है।

(अनील कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति)

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।